

पत्रावली पेश हुई। वकील डि. मी. दास उपस्थित।
 तहसीलदार, पेंड की ओर से राजस्थान
 की पालना कर पालना रिपोर्ट उपस्तुत
 की हैं, जो शामिल पत्रावली रहे।
 TDR, tank ने न्यायालय के निर्णय
 की पालना कर राजस्थान रिकॉर्ड में
 अभिलेखित कर रिकॉर्ड की प्रतियाँ
 पेश की हैं। इसलिए पत्रावली में
 अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
 अतः पत्रावली फैसल नुमायश होकर,
 नम्बर से कम की जाकर पारिवल
 पत्र हो।

Ruby Kumar
 सहायक कलेक्टर
 मुख्यालय टोंक
 (सुनी रुबी अंसार)

राफ़ी उपस्थित।
 नोट हेतु जारी

क कलेक्टर
 लय टोंक

ल।
 पत्रावली